



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DURGAPUR
MAHATMA GANDHI AVENUE, DURGAPUR-713209
West Bengal, INDIA, www.nitdgp.ac.in
(An Autonomous Institution of the Govt. of India
under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya))

No. NITD/Estb./COVID-19/2021/3

Dated: 04th May, 2021

CIRCULAR

COVID-19 महामारी संक्रमणের কারণে আমাদের দেশ যে সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে সে সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত আছি এবং এই সংক্রমণ প্রতিদিন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন -সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরা, যথাযথ পরিচ্ছন্নতা বিধি পালন (sanitization), বৃহৎ জনসমাগম এড়ানো ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমাদের ক্যাম্পাসে সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইনস্টিটিউটের COVID-19 সংক্রমণ নিয়ন্ত্রক বিভাগের নোডাল অফিসার হিসাবে সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ক্যাম্পাসের ভিতরে আরও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি প্রয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন:

1. ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে এবং বাইরের বাসিন্দাদের অপ্রয়োজনীয় চলাচলে বাধা প্রদান করা প্রয়োজন।
2. পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ভিতরে বিক্রেতাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উচিত। অনলাইন পার্সেলগুলি মেইন গেটে বিতরণ করা উচিত এবং পরে সেখান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।
3. সমস্ত প্রবেশের স্থানগুলিতে হাত স্যানিটাইজেশন এবং তাপমাত্রা রেকর্ডিংয়ের জন্য সহযোগিতা করা উচিত।
4. স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আগে ও ফিরে আসার পরে কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এর মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা উচিত।
5. এরকম ক্ষেত্রে স্টেশনে ফিরে আসার পরে কর্মচারীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কমপক্ষে সাত দিনের জন্য বাড়িতে নিভৃতবাসে (Home Quarantine) থাকবেন।
6. এই নিভৃতবাসে থাকার সময় যাঁদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হবে তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অবিলম্বে মেডিকেল ইউনিটকে অবহিত করা উচিত।
7. ক্যাম্পাসের বাসিন্দাদের বাইরে যাওয়ার সময় সর্বদা একটি মাস্ক /মুখের আবরণ পরা উচিত, হাত ও শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা উচিত, সামাজিক দূরত্ব এবং পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জনসমাগম এড়ানো উচিত।

এই বিজ্ঞপ্তিটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশিত হলো।

कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण देश की विकट परिस्थिति से सभी अवगत हैं जो कि दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। निवारक उपाय करने के बावजूद, जैसे कि एक दूसरे से उचित दूरी को बनाए रखना, मास्क पहनना, उचित स्वच्छता, बड़ी सभाओं से बचना, हमारे कैम्पस में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में, संस्थान के कोविड-19 प्रबंधन के नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने परिसर के अंदर और अधिक प्रसार के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू करने की सलाह दी है:

1. परिसर के निवासियों को बिना कारण के अंदर और बाहर आने जाने पर प्रतिबंध।
2. परिसर के अंदर विक्रेताओं का प्रवेश अगले आदेश तक प्रतिबंधित है। ऑनलाइन पार्सल मुख्य द्वार पर वितरित किए जाएंगे और निवासी बाद में वहां से उन्हें एकत्र कर सकते हैं।
3. सभी प्रवेश द्वारों पर तापमान की रिकॉर्डिंग और हाथ की सफाई के लिए सहयोग अपेक्षित है।
4. कर्मचारियों को शहर छोड़ने और लौटने से पहले संबंधित विभाग / अनुभाग / केंद्र के प्रमुख के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा।

5. ऐसे मामलों में, उनके परिवार के सदस्यों के साथ कर्मचारी शहर लौटने के बाद कम से कम सात दिनों के लिए घर पर बने रहेंगे।
6. जो लोग संगरोध अवधि के दौरान लक्षण विकसित करते हैं, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत चिकित्सा इकाई को सूचित करना होगा।
7. परिसर के निवासियों को जब भी बाहर जाना हो तो हर समय मास्क पहनना / चेहरे को ढकना चाहिए, हाथ की स्वच्छता और श्वसन स्वच्छता का पालन करें, एक दूसरे से उचित दूरी और पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखें, और सामूहिक सभा से बचें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

All are aware of the critical situation our country is facing due to the spread of COVID-19 Pandemic which is increasing day to day on a rapid scale. In spite of taking preventive measures such as maintaining social distancing, wearing of masks, proper sanitization, avoiding large congregations, positive cases in our Campus are increasing. In such a situation, the Sr. Medical officer as the Nodal Officer for COVID-19 Management of the Institute has advised enforcing following measures for the control of further spread inside the campus:

1. Restriction of unnecessary movement of residents inside and outside the campus.
2. Entry of vendors inside the campus is restricted till further order. Online parcels should be delivered at Main Gate and can be collected from there later on.
3. Cooperation is solicited for recording of temperature and hand sanitization at all the entry points.
4. Employees would be required to inform the competent authority through respective Head of Department/section/ center before leaving and returning to the station.
5. In such case employees along with their family members will remain in home quarantine at least for seven days after returning to the station.
6. Those who develop symptoms during the quarantine period should intimate the Medical Unit immediately for further course of action.
7. Residents of the campus should wear a mask/ face cover all the time when he/she goes outside, follow hand hygiene and respiratory hygiene, maintain social distancing and environmental sanitation, and avoid mass gathering.

This issues with the approval of the competent authority.


Registrar 

Copy forwarded for information to:

1. Director
2. All Deans
3. All Heads of the Departments/ Sections/ Centers and Central facilities
4. Chief Warden - for necessary appropriate action
5. Sr. Medical Officer, Medical Unit
6. Web Master- for display in Institute web site
7. Security Officer & I/C, Estate Section – for necessary compliance.
8. Director's Secretariat
9. Registrar's Secretariat
10. Notice Board of all Hostels.
11. File Copy


Joint Registrar (Estt.)